न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/2019 **दायर तारीख :– 04-10-2019**

1. बीरबल पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी ईस्माइलपुर तहसील विराटनगर जिला जयपुर —: *प्रार्थी*

बनाम

1. बिरधी कंवर पत्नि मूल सिंह (फौत)
1/1. मन्नी कंवर पुत्री मूल सिंह
2. साधू सिंह पुत्र मूल सिंह

} जाति दरोगा निवासी महासिंह का बास तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा विराटनगर जिला जयपुर।

— *अप्रार्थीगण*

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 251–क की उप धारा (2)

उपस्थित :– श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 व 2
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 24.12.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251–क की उप धारा (2) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि वाके ग्राम ईस्माईलपुर के हाल आराजी खसरा नम्बर 276/0.0300 हैक्टेयर, 277/1.0500 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर जमाबन्दी संवत् 2075–2078 में प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा प्रार्थी अपनी आराजी में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 275/0.1900 हैक्टेयर में 4 मीटर चौडाई में रास्ता चाहा है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी की भूमि में पहूंचने के लघुतम तथा निकटतम स्थिति है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तावित रास्ता को जो कि हाल नक्शा ट्रेस में सीमाकिंत दर्शित किया गया है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित किया जाना तथा अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी निवादित किया जाना न्यायसंगत है, इसके संबंध में प्रार्थी उचित एवं न्यायसंगत प्रतिकर संदाय करने हेतु तैयार है।

2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम ईस्माईलपुर, नकल जमाबन्दी ग्राम ईस्माईलपुर खाता संख्या 111 संवत् 2075–2078, नकल जमाबन्दी ग्राम ईस्माईलपुर खाता संख्या 55

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

संवत् 2075–2078, नकल जमाबन्दी ग्राम महासिंह का बास खाता संख्या 67 संवत् 2073–2076, फोटो प्रति प्रार्थी आधार कार्ड, रास्ते की छाया प्रति आदि पेश किये।

3. पत्रावली बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित।
4. तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।
5. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता संख्या 55 में दर्ज खसरा नम्बरान 276/0.0300, 277/1.0500 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान 275/0.1900 हैक्टेयर की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी के आवाजाही हेतु चाहे गये रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 275/0.1900 हैक्टेयर की भूमि मे से है।

7. मुताबिक तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त प्रस्ताव खसरा संख्या 275 जो कि प्रतिवादी साधू सिंह पिता मूल सिंह वगैरह के दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि डामर सडक से लगता हुआ है। खसरा संख्या 275 में 55 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौडाई अर्थात 220 वर्गमीटर का रास्ता निकटतम व सुलभ है। मौके पर कच्चा रास्ता चालू है। इस रास्ते से वादी/प्रार्थी बीरबल पिता नारायण अहीर अपने गंतव्य स्थल खसरा नंबर 277 मे जाता है। निष्कर्षतः डामर सडक से लगता खसरा संख्या 275 में 55 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौडाई अर्थात 220 वर्गमीटर पहूंच मार्ग दिया जाना संभव है। इसके अलावा अन्य कोई सुलभ एवं निकटतम पहूंच मार्ग नहीं है।
8. समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मै, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने–जाने का रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता है। मौकास्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 275 में 55 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौडाई अर्थात 220 वर्गमीटर कीमतन रास्ता दिया जाना सुविधाजनक एवं सर्वसुलभ है। प्रार्थना पत्र मे चाहा गया रास्ता उपयुक्त एवं सुविधाजनक, युक्तियुक्त व फिजीबल है। जहां तक रास्ता में गई भूमि की प्रतिकार राशि का संबंध है, प्रार्थी देने को तैयार है, इसके संबंध में तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिया जाना उचित है कि डीएलसी दर अनुसार गणना कर, डीएलसी दर की दोगुना राशि प्रार्थी से जमा कर उक्त राशि अप्रार्थीगण को अदा करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम ईस्माईलपुर में स्थित अप्रार्थीगण खातेदारी खेत खसरा संख्या 275/0.1900 हैक्टेयर में 55 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौडाई अर्थात कुल 220 वर्गमीटर की भूमि को प्रार्थी के पक्ष में रास्ते के उपयोग हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों का अवसान किया जाता है तथा गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार प्रार्थी से डीएलसी दर की दोगुना राशि जमा कर इस प्रतिकार राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जावे। अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त सार्वजनिक रास्ते मे किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी के भी माध्यम से बाधा उत्पन्न नहीं करें, किसी भी रास्ते के उपयोग–उपभोग से नहीं रोके। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें, नक्शे मे आवश्यक तरमीम करें, मौके पर पालना करना सुनिश्चित करें, साथ ही रास्ता की भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)